न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान –

1. मुखत्यार सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 42 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

........प्रार्थी........

बनाम

1. दर्शन सिंह पुत्र श्री बचन सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 42 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. अमरजीत सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 42 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर।

......अप्रार्थीगण.......

उपस्थिति – 1. श्री प्रेम कुमार चुघ वकील प्रार्थी
2. पैराकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

निर्णय दिनांक – 30.10.19

प्रकरण संख्या – 21/2016

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

प्रार्थी के द्वारा उपरोक्त अनवान का एक वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है। उपरोक्त वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से चक 42 जी.बी. का मु.नं. 42 प.नं. 193/440 का किला नं. 1 ता 23, मु.नं. 43 प.नं. 194/440 का किला नं. 1 ता 25 कुल 11.549 है. का 1/2 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा भूमि व चक 37 जी.बी.(ए) का मु.नं. 13 प.नं. 189/440 किला नं. 1 ता 5, 8 ता 10 कुल 2.024 है. में से 1/3 हिस्सा व इसी चक का मु.नं. 25 प.नं. 188/443 का किला नं. 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 23 का कुल 4.113 है. में से 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। यह भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को अपने पिता यानि प्रार्थी के दादा बचन सिंह से विरासत में उनके देहान्त होने पर प्राप्त हुई है एवं संयुक्त परिवार की आय से अर्जित की हुई है इस प्रकार उपरोक्त सम्पति जद्दी जायदाद की श्रेणी में आती है जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है जिसका प्रार्थी स्वयं को खातेदार टेनेन्ट जरिये वाद घोषित करवाने का विधिक अधिकारी है। उपरोक्त भूमि चक 42 जी.बी. व चक 37 जी.बी. (ए) में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से कुल 3.489 है. भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं अप्रार्थी संख्या 1 के प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 ही पुत्र सन्ताने है। इस प्रकार प्रार्थी का अप्रार्थी

लगातार..........2

न्यायालय उपखण्डाधिकारी श्री विजयनगर

Priyanka 30/10/19
प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

संख्या 1 के नाम से दर्ज कुल 3.489 है. में से 1/3 हिस्सा बनता है जो कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्ण्य उक्त जद्दी जायदाद का बाहमी बंटवारा काफी अर्सा पूर्व ही हो चुका है जो कि बाहमी बंटवारा अनुसार प्रार्थी के हिस्सा में आयी 1/3 हिस्सा पर प्रार्थी अप्रार्थीगण के साथ संयुक्त रूप से काबिज चला आ रहा है एवं प्रार्थी ने उक्त भूमि पर साधिकार काबिज रहते हुए इसे संवारा सुधारा व कृषि योग्य बनाया है इसमें अपना अथाह धन व परिश्रम खर्च किया है जिसकी बदौलत भूमि की किस्म सुधार हो गया है व अच्छा उत्पादन होने लगा जिसको देखकर अप्रार्थी संख्या 2 जो कि प्रार्थी का भाई है के मन में लालच व बेईमानी आ गई व अप्रार्थी संख्या 2 उक्त भूमि को हड़प करना चाहता है। जिसमें लिए अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 1 जो कि वृद्ध हो चुका है को प्रार्थी के खिलाफ बहकाना प्रारम्भ कर दिया व प्रार्थी के अनेक अवसरों पर अप्रार्थी संख्या 1 को भूमि बाहमी बंटवारानुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से दर्ज करवाने बाबत कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आश्वासन देते रहे कि भूमि का बंटवारा घरेलु तौर पर किया हुआ है काबिज चले आ रहे है और हम ही अप्रार्थी संख्या 1 के विधिक वारिसान है सारी भूमि हमारे पास ही आनी है घबराने की क्या बात है। जब कभी राजस्व कैम्प आदि लगेगा तो ब्यान देकर पृथक-पृथक दर्ज करवा लेगे। जिस पर प्रार्थी विश्वास करता रहा। किन्तु आज से करीब 2 माह पूर्व राजस्व कैम्पों का आयोजन किये जाने पर भी अप्रार्थीगण द्वारा इस बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गई तो प्रार्थी ने दिनांक 10/02/2016 को मौतबीरान व्यक्तियों को साथ लेकर दबाव देकर जद्दी जायदाद में दर्शन सिंह के नाम से दर्ज भूमि में से प्रार्थी का 1/3 हिस्सा को प्रार्थी के नाम से दर्ज करवाने बाबत कहा तो अप्रार्थीगण ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया व ऐलिनिया धमकी दी कि वे अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि को अन्य को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित कर प्रार्थी को प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि से महरूम एवं बेदखल कर देंगे। बसी यही तारीख बिनाए मुखास्मत वाद कारण है। अप्रार्थीगण प्रार्थी को उक्त जद्दी जायदाद में प्राप्त 1/3 हिस्सा की कब्जा काश्त की भूमि से महरूम एवं बेदखल जबरन करना चाहते है जिसके लिए भूमि को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित करने पर आमादा है यदि अप्रार्थीगण अपने उक्त विधि विरूद्ध कृत्यों में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपने कब्जा काश्त व हक व हिस्सा की भूमि से महरूम एवं बेदखल होना पडेगा जिससे प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा एवं तृतीय पक्षकार के हित सृजित होने से पक्षकारान के मध्य विवाद बढेगा, मुकदमें बाजी बढेगी, खर्च बढेगा व काश्त में भारी असुविधा होगी जबकि अप्रार्थीगण को वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने पर अप्रार्थीगण के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा। इसलिए प्रथम दृष्ट्या प्रकरण भी प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे अप्रार्थी संख्या 1 दर्शन सिंह के नाम से दर्ज विवादित भूमि चक 42 जी.बी. का मु.नं. 42 प.नं. 193/440 का किला नं. 1 ता 23, मु.नं. 43 प.नं. 194/440 का किला नं. 1 ता 25 कुल 11.549 है. का 1/2 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा भूमि व चक 37 जी.बी.(ए) का मु.नं. 13 प.नं. 189/440 किला नं. 1 ता 5, 8 ता 10 कुल 2.024 है. में से 1/3 हिस्सा व इसी चक का मु.नं. 25 प.नं.

लगातार.........3

प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

188/443 का किला नं. 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 23 का कुल 4.113 है. में से 1/3 हिस्सा भूमि कुल 3.489 है. भूमि को अन्य किसी को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित स्वयं या अपने हित प्रतिनिधि के माध्यम से करने से बाज एवं ममनू रहे व प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार मदाखलत बेजा करने व चल रही किसी सुविधा को बाधित या बन्द करनेद से बाज एवं ममनू रहे तथा मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण, को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बाद तामील नोटिस न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी पैरोकार राज की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ। प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो एवं कानूनी प्रावधानों पर मनन किया गया और निष्कर्ष रूप में यह पाया कि विवादित भूमि वाके चक 42 जी.बी. का मु.नं. 42 प. नं. 193/440 का किला नं. 1 ता 23, मु.नं. 43 प.नं. 194/440 का किला नं. 1 ता 25 कुल 11.549 है. का 1/2 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा भूमि व चक 37 जी.बी.(ए) का मु.नं. 13 प.नं. 189/440 किला नं. 1 ता 5, 8 ता 10 कुल 2.024 है. में से 1/3 हिस्सा व इसी चक का मु.नं. 25 प.नं. 188/443 का किला नं. 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 23 का कुल 4.113 है. में से 1/3 हिस्सा भूमि कुल 3.489 है. भूमि अप्रार्थी संख्या 1 दर्शन सिंह को अपने पिता देहान्त उपरान्त प्राप्त हुई है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 का पुत्र है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 उक्त विवादित भूमि को आगे रहन, बेचान कर देता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी। इसलिए प्रार्थी को न पूरा होने वाला नुकसान होगा। अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है। एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह चक 42 जी.बी. का मु.नं. 42 प.नं. 193/440 का किला नं. 1 ता 23, मु.नं. 43 प.नं. 194/440 का किला नं. 1 ता 25 कुल 11.549 है. का 1/2 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा भूमि व चक 37 जी.बी.(ए) का मु.नं. 13 प.नं. 189/440 किला नं. 1 ता 5, 8 ता 10 कुल 2.024 है. में से 1/3 हिस्सा व इसी चक का मु.नं. 25 प.नं. 188/443 का किला नं. 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 23 का कुल 4.113 है. में से 1/3 हिस्सा भूमि कुल 3.489 है. भूमि के रिकॉर्ड की यथास्थिति प्रार्थी के हिस्से तक वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.10.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/10/19

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

न्यायालय उपखण्डाधिकारी श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2019.11.25 14:32:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: